

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 09, 2015

एस.ओ.284.-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय समूह से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में विकास प्राधिकरणों, राजस्थान आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासों और नगरपालिकाओं द्वारा निष्पादित आवासीय भूखण्ड या निवास इकाई के पट्टे या विक्रय की लिखत पर एक हजार रुपये से अधिक संदेय रजिस्ट्रीकरण फीस का निम्नलिखित शर्तों पर परिहार किया जायेगा, अर्थात् :-

- (क) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की दशा में, परिवार की मासिक आय 5000/- रु. से अधिक नहीं है और आवासीय भूखण्ड या निवास इकाई का कारपेट क्षेत्रफल 325 वर्ग फुट से अधिक नहीं है; और
- (ख) निम्न आय समूह की दशा में, परिवार की मासिक आय 5001/- रु. से कम और 10000/- रु. से अधिक नहीं है और आवासीय भूखण्ड या निवास इकाई का कारपेट क्षेत्रफल 500 वर्ग फुट से अधिक नहीं है।

[एफ.4(4)वित्त/कर/2015-220]

राज्यपाल के आदेश से,

मनीष मायुर,

संयुक्त शासन सचिव

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 9, 2015**

S.O.284.- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the registration fee payable in excess of rupees one thousand on the instrument of lease or sale of residential plot or dwelling unit executed by the Development Authorities, Rajasthan Housing Board, Urban Improvement Trusts and Municipalities in favour of persons belonging to Economically Weaker Section and Low Income Group, shall be remitted on the following conditions, namely:-

- (a) in case of Economically Weaker Section, the monthly income of the family is not more than Rs. 5000/- and carpet area of residential plot or dwelling unit is not more than 325 square feet; and
- (b) in case of Low Income Group, the monthly income of the family is not less than Rs. 5001/- and not more than Rs. 10000/- and carpet area of residential plot or dwelling unit is not more than 500 square feet.

[No.F.4(4)FD/Tax/2015-220]
By order of the Governor.



(Manish Mathur)
Jt. Secretary to the Government